



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार/थाना कुतुबशेर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नकली नोट बनाने व तस्करी करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से नकली नोट व नकली नोट बनाने की सामग्री बरामद

बरामदगी का विवरण-

- **कुल 02,59,000/- रुपये (500-500 रुपये के नोट)**
- **06 अदद मोबाईल फोन,**
- **02 अदद लैपटाप**
- **01 अदद प्रिन्टर**
- **01 अदद फोटो कटर,**
- **01 अदद लैपटाप चार्जर,**
- **20 कोरे पेपर सिक्योरिटी श्रेड के**
- **52 शीट विकृत नोट**
- **06 अदद आधार कार्ड,**
- **01 अदद पर्स,**
- **01 मोटरसाइकिल जावा**
- **01 अदद बल्ब मय डोरी व होल्डर**

अवगत कराना है कि दिनांक वादी 03/08/2025 रविन्द्र धामा थाना सदर बाजार की लिखित फर्द के आधार पर नकली नोट बनाने व तस्करी करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 391/2025 धारा 179/180 बीएनएस बनाम रुबल व 06 अन्य आदि के पंजीकृत कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **03 वांछित अभियुक्तगण 1. शशी कुमार उर्फ सर्वेस उर्फ राहुल गुप्ता पुत्र रामविलास विश्वकर्मा निवासी ग्राम नगेलिनपुर पटारा पत्रा कानपुर नगर, 2. नवीन पासवान पुत्र अनिल पासवान निवासी मुकुल द्वार बेलपार थाना भडलगंज, जनपद गोरखपुर व 3. करनवीर पुत्र बलजीत कुमार निवासी गिल्लौर थाना रादौर जनपद यमुनानगर हरियाणा** को लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर के सामने जाने वाले रास्ते पर खाली पड़े रेलवे क्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे कुल **02,59,000 रुपये (500 रुपये के नोट), 06 अदद मोबाईल फोन, 02 अदद लैपटाप, 01 अदद प्रिन्टर, 01 अदद फोटो कटर, 01 अदद लैपटाप चार्जर, 20 कोरे पेपर सिक्योरिटी श्रेड के, 52 शीट विकृत नोट, 06 अदद आधार कार्ड, एक अदद पर्स, 01 मोटरसाइकिल जावा रजि0 सं0 एच0आर0 92 ए 8333, 01 अदद बल्ब मय डोरी व होल्डर बरामद।** अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण: - अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग आन लाईन विदेशी एप/साइट से सिक्योरिटी पैपर खरीदकर अपने पास मौजूद लैपटाप प्रिन्टर की मदद से 500 रुपये के नकली नोट बनाते हैं फिर उनको अपने

फैसबुक/इन्स्टाग्राम एकाउन्ट के जरिये ग्राहक बनाकर उनको एक का दो (500 रू0 का नोट 250/रू0 मे) बेच देते है। इस काम में हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता:-

1. शशी उर्फ सर्वेस उर्फ राहुल गुप्ता पुत्र रामविलास विश्वकर्मा निवासी ग्राम नगेलिनपुर पटारा पत्रा कानपुर नगर
2. नवीन पासवान पुत्र अनिल पासवान निवासी मुकुल द्वार बेलपार थाना भडलगंज, जनपद गोरखपुर
3. करनवीर पुत्र बलजीत कुमार निवासी गिल्लौर थाना रादौर जनपद यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण-

- कुल 02,59,000/- रुपये (500-500 रुपये के नोट)
- 06 अदद मोबाईल फोन,
- 02 अदद लैपटाप
- 01 अदद प्रिन्टर
- 01 अदद फोटो कटर,
- 01 अदद लैपटाप चार्जर
- 20 कोरे पेपर सिक्योरिटी श्रेड के
- 52 शीट विकृत नोट
- 06 अदद आधार कार्ड,
- 01 अदद पर्स,
- 01 मोटरसाइकिल जावा
- 01 अदद बल्ब मय डोरी व होल्डर

गिरफ्तार अभियुक्त नवीन पासवान का अपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 586/24 धारा 406/420 भादवि थाना बडहतगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह मय टीम
3. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार मय स्वाट/सर्विलांस टीम, सहारनपुर
4. उ0नि0 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. उ0नि0 सुरेशवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. उ0नि0 अमरीश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
9. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
10. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
11. है0का0 660 कपिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
12. है0का0 850 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
13. है0का0 504 विपिन कौशिक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
14. का0 385 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
15. का0 1460 अंकित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
16. का0 2364 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



दिनांक - 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गौकश करते हुये 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से गौमांस व गौकशी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में गौकशी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/गौकश अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 22.08.2025 को रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नसीम कुरैशी पुत्र लतीफ नि0- ग्राम छजपुरा अपने परिवार के साथ अपने घर में ही गौकशी कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा नसीम कुरैशी उपरोक्त के घर पर दबिश दी गई तो नसीम अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। प्रकरण में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा गौकशी करते हुए 02 अभियुक्ता 1. नूरजहाँ पत्नी नसीम नि0- ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर व 2. तब्बसुम उर्फ रानी पुत्री नसीम नि0- ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा मौके से गौमांस/अवशेष तथा गौकशी के उपकरण बरामद। पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर मांस के नमूने सुरक्षित कराकर जाँच के लिए भिजवा दिये गये हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 199/25 धारा 3/5/8(1) उ0प्र0गोवध प्रतिषेध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। किया गया। फरार अभियुक्त 1. नसीम पुत्र लतीफ व मुकीम पुत्र नसीम नि0गण ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को समय से विधिक कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नूरजहाँ पत्नी नसीम नि0 ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. तब्बसुम उर्फ रानी पुत्री नसीम नि0 ग्राम छजपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मोनिका यादव थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. है0का0 735 सूरज थाना जनकपुरी, सहारनपुर
4. है0का0 610 विपिन राणा थाना जनकपुरी, सहारनपुर
5. म0कां0 13 निशि थाना जनकपुरी, सहारनपुर



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को तलाश व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण **1. सुमित पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम शकलापुरी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 1047/18 संबधित **2. रमेश पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 308/17 धारा 138 वि0 अधि0 **3. राजेश पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम बिजोपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 308/17 धारा 138 वि0 अधिनियम संबंधित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. सुमित पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम शकलापुरी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. रमेश पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम बिजोपुरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. राजेश पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम बिजोपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. का0 2007 आरोश शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2201 विपन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **मनोज जैन पुत्र सुभाष जैन नि. लख्खी गेट शिव मन्दिर के पास थाना मण्डी सहारनपुर** सम्बन्धित वाद न- 23/16845 धारा भादवि थाना मण्डी 406/506/504/323 जनपद सहारनपुर (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में पेशी हेतु नियत तिथि – 3.9.25) जो काफी दिनों से वांछित चल रहा था। अभियुक्त को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनोज जैन पुत्र सुभाष जैन नि. लख्खी गेट शिव मन्दिर के पास थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजकुमार त्यागी कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0237 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का02018 संदीप थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **वैभव खुराना पुत्र बनवारी लाल खुराना निवासी 8/4180 मदनपुरी कालोनी चिलकाना रोड थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद सं0 26512/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना मण्डी (अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर) में पेशी हेतु नियत तिथि 25.08.25 में थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ते का नाम व पता –

वैभव खुराना पुत्र बनवारी लाल खुराना निवासी 8/4180 मदनपुरी काली चिलकाना रोड थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0141 गुलनवाज थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 2528 अनिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.25 को 01 वारण्टी अभियुक्त **जौधा पुत्र नौरंग निवासी बिडवी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1680/2025 व मु0अ0स0 30/2008 धारा 60(2) आबकारी अधि0 चालानी थाना नकुड़ (मा0न्यायालय सहारनपुर) में ग्राम बिडवी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जौधा पुत्र नौरंग निवासी बिडवी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 416 कपिल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1122 प्रवीण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20/08/2025 को वादी की लिखित बाबत अज्ञात व्यक्ति वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर ले भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 599/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.08.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **वांछित शिवम पुत्र धर्मपाल तोमर निवासी ग्राम हस्टपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़ हाल पता गली नं0 11 मौहल्ला रामनगर अर्थला कालोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद** को मुखबिर की सूचना पर जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।। गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी। अपहृता को पूर्व में ही सकुशल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम पुत्र धर्मपाल तोमर निवासी ग्राम हस्टपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़ हाल पता गली नं0 11 मौहल्ला रामनगर अर्थला कालोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. हैका0 931 परविन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 121 रीकम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 22-08-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में 25000/- रुपये का
ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 30.08.2022 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साकिब पुत्र इमरान निवासी बेलडा जुनारदार थाना नांगल जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म कर विदेश भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 206/22 धारा 376/506 भादवि व 5जे(ii)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित अभियुक्त पर 25000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/ईनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 25000/- रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त साकिब पुत्र इमरान निवासी बेलडा जुनारदार थाना नांगल जनपद सहारनपुर को मुम्बई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त:-

1. साकिब पुत्र इमरान निवासी बेलडा जुनारदार थाना नांगल जनपद सहारनपुर

अभियुक्त साकिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 70/23 धारा 174ए भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेशचन्द्र थाना नांगल जनपद सहारनपुर
3. का0 1970 अनुज कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर
4. का0 1802 बिट्टु कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर



दिनांक:-23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अंकित पुत्र पप्पू निवासी मौ० शालीमार गार्डन कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 2490/2024 व मु०अ०स० 164/2023 धारा 294 भादवि नियत दिनांक 25.09.2025 थाना सरसावा को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

अंकित पुत्र पप्पू निवासी मौ० शालीमार गार्डन कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री गौरव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ०नि० श्री ललित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. का० 2525 अनूप थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राकेश सैनी पुत्र पूरन चन्द सैनी निवासी मौहल्ला मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 11529/23 व मु०अ०सं०- 153/03 धारा 25/4 आर्मस एक्ट थाना मण्डी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) नियत तिथि – 12.09.25 में थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राकेश सैनी पुत्र पूरन चन्द सैनी नि. मौ० मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री रविन्द्र नागर कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. का०2278 विष्णु कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का०1803 राहुल थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **02 वारण्टी अभियुक्तगण** 1. लालसिंह पुत्र कलीराम निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं०- 105/16 व मु०अ०सं० 35/15 धारा 135/138बी विधुत अधि० चालानी थाना चिलकाना में व 2. वारण्टी मन्सूर पुत्र असलम निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं०- 221/23 व मु०अ०सं० 19/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड में थाना क्षेत्र चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. लालसिंह पुत्र कलीराम निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2. मन्सूर पुत्र असलम निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ०नि० श्री राकेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री राजकुमार सारन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है०का० 517 वतन पंवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का० 2400 दीपचन्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा पेड़ चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर पेड़ चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से पोपुलर के कटे हुए 06 पेड़ व 01 बुलेरो पिकअप, पेड़ बेचकर अर्जित किये गये कुल 3750/- रुपये नकद व पेड़ काटने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.07.2025 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र सूरत निवासी ग्राम जस्सा माजरा थाना चिलकाना स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के खेत से पोपुलर के पेड़ चोरी करने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.07.25 को वादी श्री साजिद अली पुत्र अब्दुल वाजिद निवासी ग्राम खेडा मेवात थाना चिलकाना स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा खेत से पोपुलर के पेड़ चोरी करने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 198/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 22/23.08.2025 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि पेड़ चोरी करने वाला गैंग पेड़ काटने की फिराक में बुलेरो पिकअप लेकर घूम रहे हैं इस सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्रामीणों की मदद से घेराबन्दी करते हुए 03 अभियुक्तगण 1. राशिद पुत्र फारुख निवासी मौहल्ला हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर, 2. रिजवान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम रसूलपुर कला थाना फतेहपुर सहारनपुर व 3. मन्नान पुत्र नसीम निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर सहारनपुर को जंगल ग्राम खेडा मेवात से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से पोपुलर के कटे हुए 06 पेड़, 01 बुलेरो पिकअप गाड़ी, पेड़ काटने के उपकरण व 3750/- रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। घटना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 204/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

विवरण पूछताछ – पूछताछ पर बताया कि साहब ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम तीनों लोग मिलकर किसानों के खेतों में खड़े पोपुलर के पेड़ों को रात में चोरी से काटकर बेच देते हैं, हम तीनों ने मिलकर दिनांक 08/09.07.2025 की रात्रि को ग्राम दस्सामाजरा के खेतों से 15 पोपुलर के पेड़ चोरी से काटे थे और जो बुलेरो पिक नं य0के0 17 सी ए 5196 हमसे मिली है उसी में लाद कर कटे हुए पेड़ों को ले जाते हैं और चोरी छिपे यहां वहां अन्जान जगह लोगों को बेच देते हैं। दिनांक 18/19.08.25 की रात्रि में भी हम तीनों ने मिलकर ग्राम चकबीबीपुर के खेतों से पोपुलर के 15 पेड़ चोरी से काट लिए थे और उनको इसी पिकअप में लाद कर ले जाकर यहां वहां अन्जान लोगों को बेच दिया था जिससे हम तीनों को अच्छा मुनाफा हो जाता है। साहब दिनांक 23.8.25 की रात करीब 01 बजे हम तीनों ने मिलकर ग्राम चकबीबीपुर में एक किसान के खेत से पोपुलर का पेड़ चोरी से काट लिया था लेकिन आज हमें आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. राशिद पुत्र फारुख निवासी मौहल्ला हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर
2. रिजवान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम रसूलपुर कला थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मन्नान पुत्र नसीम निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 3750/- रुपये पेड़ बेचकर (कमाए हुए)
- 01 बुलेरो पिकअप,

➤ 06 कटे हुए पोपलर के पेड

➤ पेड काटने के उपकरण

अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 153/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 198/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 37/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर

अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 153/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 198/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 37/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर

अभियुक्त मन्नान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 153/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 198/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 37/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1- उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 84 मानवेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 4- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र रखने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे “अभियान” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 शातिर अभियुक्त मोनू उर्फ जहाज पुत्र स्व0 जगपाल निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को ग्राम देवाला निर्माणाधीन बाईपास के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर में लगभग दो दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 368/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनू उर्फ जहाज पुत्र स्व0 जगपाल निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त मोनू उर्फ जहाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-552/07 धारा 60/62 एक्स थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 57/08 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0-25/10 धारा 60 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 304/10 धारा 414/420 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0-420/10 धारा 60 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0-572/10 धारा 60 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0-436/11 धारा 60/72 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0-86/13 धारा 60 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0स0-90/13 धारा 60 एक्स एक्ट 272/273 भादवी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0स0 118/13 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0स0-117/13 धारा 60 एक्स एक्ट व 420 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0स0-91/15 धारा 60 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0स0-264/16 धारा 60/72 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0स0-81/19 धारा 63 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
15. मु0अ0स0-141/19 धारा 63/72 एक्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
16. मु0अ0स0-142/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

- 17.मु0अ0स0-731/19धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- 18.मु0अ0स074/21 धारा 307 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- 19.मु0अ0स0 75/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- 20.मु0अ0स0 76/21 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- 21.मु0अ0स0 77/21 धारा 63 आवकारी अधि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
- 22.मु0अ0स0 78/21 धारा 63 आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर ।
- 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुदेश पाल थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
2. का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
3. का0 1487 जयकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग में 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी फतेहपुर श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 03 अभियुक्तगण 1. यशपाल पुत्र सुखदेव 2. सेवाराम पुत्र सुखदेव 3. बाबूराम पुत्र सुखदेव निवासी गण ग्राम गंगाली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को आमादा फसाद होने के कारण शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में कर न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. यशपाल पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम गंगाली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. सेवाराम पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम गंगाली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. बाबूराम पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम गंगाली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 पीसी रमेश राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की घटना में **वांछित अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.25 को वादी श्री जयकरण पुत्र श्री कृष्णपाल निवासी मौ0 होली चौक कस्बा नकुड़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त प्रशान्त पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम नगला नसीराबाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने जिससे वादी का बाल-बाल बचने व गोली वादी के घर के गेट पर लग जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 297/25 धारा 352/109(1)/351(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में फायरिंग की घटना में **वांछित अभियुक्त प्रशान्त पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम नगला नसीराबाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को थाना क्षेत्र नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर की बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रशान्त पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम नगला नसीराबाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा 315 बोर

01 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 30/25 धारा 125(बी), 281, 324(4) भा0न्या0सं0 थाना नागल स0पुर
2. मु0अ0सं0 36/25 धारा 351(3), 352, 78 भा0न्या0सं0 थाना नकुड़ स0पुर
3. मु0अ0सं0 37/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रोबिन राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 482 बलराम, थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 320 तरुण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0कां0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 23.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 09 वारण्टी/अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में वांछित / वारण्टी की धर पकड़ हेतु गठित टीम द्वारा आज दिनांक 23/08/2025 को **09 वारण्टी/अभियुक्तगण** 1. जुल्फकार पुत्र गनी निवासी ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 3801/22 मु०अ०सं० 418/12 धारा 147/353/504/224 भादवि, 2. नरेश पुत्र रतीराम निवासी ग्राम अलीपुरा थाना गंगोह सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 30308/22 बनाम सेठपाल मु०अ०सं० 433/19 धारा 332/427 भा.द.वि में 3.अक्षय पुत्र मुकेश धीमान निवासी ग्राम चकवाली थाना गंगोह सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 153/25 बनाम विनय आदि मु०अ०सं० 19/24 धारा 323,504,506 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह में 4. मिन्दू उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र देशराज निवासी मौ० गणेश चौक करबा व थाना गंगोह सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 3592/22 बनाम माहिर आदि मु०अ०सं० 450/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना गंगोह में 5. सद्दाम पुत्र अफसर नि० ग्राम बाढ़ीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 2333/22 एनसीआर नं० 44/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना गंगोह में 6-अर्जुन पुत्र लालसिंह नि० ग्राम विश्रोट थाना गंगोह जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 3543/23 अ०सं० 147/23 धारा 147/323/504/506 भादवि में 7. लाल सिंह पुत्र मुकुन्दा नि० ग्राम विश्रोट थाना गंगोह जिला स०पुर को सम्बन्धित वाद सं० 3534/23 अ०सं० 147/23 धारा 147/323/504/506 थाना गंगोह में 8.करेशन पुत्र गोवर्धन नि० ग्राम विश्रोट थाना गंगोह जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 3543/23 अ०सं० 147/23 धारा 147/323/504/506 भादवि में व 9.राशिद पुत्र जमील नि० ग्राम बाढ़ीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 28966/22 अ०सं० 84/05 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना गंगोह में उनके मसकनो से गिरफ्तार किया गया। जिनको मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/वारण्टी का नाम व पता:-

1. जुल्फकार पुत्र गनी निवासी ग्राम कुण्डा कला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. नरेश पुत्र रतीराम निवासी ग्राम अलीपुरा थाना गंगोह सहारनपुर
- 3.अक्षय पुत्र मुकेश धीमान निवासी ग्राम चकवाली थाना गंगोह सहारनपुर
4. मिन्दू उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र देशराज निवासी मौ० गणेश चौक करबा व थाना गंगोह सहारनपुर
5. सद्दाम पुत्र अफसर नि० ग्राम बाढ़ीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. अर्जुन पुत्र लालसिंह नि० ग्राम विश्रोट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. लाल सिंह पुत्र मुकुन्दा नि० ग्राम विश्रोट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. करेशन पुत्र गोवर्धन नि० ग्राम विश्रोट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
9. राशिद पुत्र जमील नि० ग्राम बाढ़ीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री विजय कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री महिपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0कां0 472 शैलेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. है0कां0 60 शैलेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. है0कां0 849 भगत थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. है0कां0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
10. का0 108 नितिन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
11. का0 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
12. का0 1820 अंकित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तगण को किया गया** **गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.08.25 को 05 एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्तगण 1. मुजम्मिल पुत्र हामिद निवासी ग्राम चाँन्दपुर थाना गागलहेडी सम्बन्धित वाद सं0 6346/22 व मु0अ0सं0 186/22 धारा 60 EXACT 2. एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त सोमिन्द्र पुत्र रहतू निवासी खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 2565/22 एनसीआर नं0 34/03 धारा 323/324/504 भादवि 3. वारंटी अभियुक्त शहनवाज उर्फ काला पुत्र जफर निवासी माल्ली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 262/19 वाद सं0 7587/25 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 4. एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा पुत्र रतिराम निवासी दिनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 7270/25 धारा 406/323/504/506 भादवि 5. एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त शाहजाद अली पुत्र मौ0 गफूर अहमद निवासी छाछरेकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 36/23 मु0अ0सं0 280/22 धारा 279/304ए भादवि चालानी थाना गागलहेडी सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मुजम्मिल पुत्र हामिद निवासी ग्राम चाँन्दपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. सोमिन्द्र पुत्र रहतू निवासी खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. वारंटी अभियुक्त शहनवाज उर्फ काला पुत्र जफर निवासी माल्ली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा पुत्र रतिराम निवासी दिनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त शाहजाद अली पुत्र मौ0 गफूर अहमद निवासी छाछरेकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 लोकेश कुमार राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 राशिद खान सूरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 नरेन्द्रपाल सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 राजीव कुमार गौर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 1011 नरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 2010 विक्रान्त कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. है0का0 342 आशीष कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9. का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **मिथुन पुत्र नरेश निवासी ग्राम बुडढा खेडा /पुडीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 431/23 धारा 452/354/504/506 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट नियत तिथि 29/8/25 चालान थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दितीय जनपद सहारनपुर को ग्राम बुडढा खेडा /पुडीर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मिथुन पुत्र नरेश निवासी ग्राम बुडढा खेडा /पुडीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 738 विनोद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. पीसी रमेश राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 23.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से एक रास भैंस व 12000/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.07.25 को वादिया श्रीमती वकीला पत्नी इसरार निवासी गोल्डन कलोनी निकट मुस्तफा मस्जिद पुराना कलसिया रोड, थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 1.नौमान उर्फ मन्नी पुत्र अशरफ ,2. नौशाद पुत्र अशरफ निवासीगण ग्राम कसैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया का झोटा जो कि मुलजिमान प्रार्थीया को धोखा देकर प्रार्थीया के घर से ले गये है जिसकी कीमत लगभग 68,000/- रुपये है की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 277/25 धारा 316(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 के पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभि0 नौशाद पुत्र अशरफ का नाम विवेचना से पृथक किया गया और अभियुक्त आलिम पुत्र कल्लू कुरैशी नि0 चन्दरौली (मुगल माजरा) थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धोखाधड़ी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त 1.नौमान उर्फ मन्नी पुत्र अशरफ ,2.अभि0आलिम पुत्र कल्लू कुरैशी नि0 चन्दरौली (मुगल माजरा) थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को मैनरोड खाताखेडी रोड की ओर जाने वाले जंगल से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक रास भैंस व 12000 रुपये बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । भैंस बरामदगी पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 323/25 धारा 316(2)/352/351(3)/317(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि मैं व मेरे दोस्त आलिम ने दिनांक 02.08.25 को शुऐब के घर जाकर अपना नाम शराफत तथा मोबीन गलत नाम बताकर हमने दोनो ने शुऐब से भैंस खरीदी थी हम दोनो ने शुऐब से दो भैंसो का 1,90,000/- रुपये में सौदा तय किया था जब पैसे देने की बात आयी तो हम दोनो ने 50,000 रुपये देकर शेष रकम दो दिन बाद देने का वायदा कर के शुऐब से दोनो भैंसे ले कर चले गये थे जिसमें से एक भैंस को हमने रुडकी मे 50 हजार रुपये किसी अनजान व्यक्ति को बेच दी थी और मिले रुपये का बंटवारा पच्चीस- पच्चीस हजार रुपये हम दोनो आपस में बाटं लिये थे।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 भैंस (धोखाधड़ी में गयी)
- 12000/- रुपये बरामद नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नौमान उर्फ मन्नी पुत्र अशरफ नि0 चन्दरौली (मुगल माजरा) थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. आलिम पुत्र कल्लू कुरैशी नि0 चन्दरौली (मुगल माजरा) थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

नौमान उर्फ मन्नी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 07/2021 धारा 406,504,506 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 374/2022 धारा 379,411 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर

आलिम पुत्र कल्लू कुरैशी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 363/2016 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 402/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का01627 अमित कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2256 प्रेम कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर